सुन्नते रसूल 5

सल्लललाहु अलैहि वसल्लम

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है।

सब तअरीफ़े अल्लाह तअला के लिये हैं जो सब जहानों का पालने वाला है। हम उसी की तअरीफ़ करते और उसी का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के सिवाए कोई इबादत के लायक नहीं, वह अकेला है। कोई उसका साझी व शरीक नहीं और मुहम्मद सल्ललाहु अलेहि व सल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं।

अल्लाह की बेशुमार रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल हो मुहम्मद सल्ल. पर और उनकी आल व औलाद और असहाब रजि. पर ।

अम्मा बअद !

बेशक सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है और सब से अच्छी रहनुमाई मुहम्मद (स. अ.व.स.) की रहनुमाई है। सब से बदतरीन काम दीन में ईजाद की गई बातें हैं और दीन में हर नई बात ''बिदअत'' है। (बुख़ारी–7277, मुस्लिम–1471)

और हर बिदअत गुमराही है। (इब्ने माजा–045)

और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। (नसाई–1581)

'' सुन्नत की तअरीफ़''

सुन्नत का लग़वी मअनी तरीक़ा या रास्ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। शरई इस्तेलाह में ''सुन्नत'' रसूले अकरम सल्ल. के तरीक़े को कहते हैं।

अनस बिन मालिक रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–''जिस ने मेरे तरीक़े पर चलने से इन्कार किया, वह मुझसे नहीं।'' (बुख़ारी–5063)

सुन्नत की क़िस्में

सुन्नत की तीन क़िस्में हैं।

1. सुन्नते क़ौली 2. सुन्नते फ़ेअली 3. सुन्नते तक़रीरी।

1. रसूले अकरम (सल्लललाहु अलैहि वस्सलाम) की ज़ुबान से अदा की गई बात ''सुन्नते क़ौली कहलाती है।

हज़ीफ़ा बिन यमान रज़ि. बयान करते हैं कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–

अगर खाना खाने से पहले ''बिस्मिल्लाह'' न पढ़ी जाये तो शैतान उस खाने को अपने लिये हलाल समझ लेता है। (मुस्लिम–5548, अबुदाऊद –367)

2. नबी सल्ल. का अमले मुबारक ''सुन्नते फ़ेअली'' कहलाता है। नौमान बिन बशीर रज़ि. ने फ़रमाया–जब हम नमाज़ के लिये खड़े होते तो रसूल सल्ल. हमारी सफ़ें दुरूस्त फ़र्माते, जब हम सीधे खड़े हो जाते तो फिर ''अल्लाहु अक्बर'' कह कर नमाज़ शुरू करते। (अबुदाऊद – 660, इब्ने माजा – 994)

3. नबी सल्ल. की मोजूदगी में जो काम किया गया हो और आप सल्ल. ने ख़ामोशी इख़्तियार की या उस पर इज़ हारे पसन्दगी किया हो, उसे ''सुन्नते तक़रीरी'' कहते हैं। क़ैस बिन अम्र रज़ि. से रिवायत है कि–नबी सल्ल. ने एक शख़्स को सुबह की नमाज़ के बाद दो रकअतें पढ़ते देखा तो फ़रमाया–''सुबह की नमाज़ तो दो रकअत है।'' उस शख़्स ने जवाब दिया–''मैंने फ़र्ज़ नमाज़ से पहले की दो रक अतें नहीं पढ़ी थी, लिहाजा अब पढ़ी हैं।'' रसूल सल्ल. यह जवाब सुनकर ख़ामोश हो गयें। (यानी उसकी इजाज़त दे दी।) (अबुदाऊद –1253)

''सुन्नत'' कुरआने करीम की रोशनी में

1. जिसने रसूल सल्ल. की इताअत की उसने दरअसल अल्लाह की इताअत की। (सूरह–निसा–आयत–80)

2. अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जायें ।(आले इम्रान–132)

3. जिसने अल्लाह की और उसके रसूल (सल्ल.) की इताअत की, उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। (अहज़ाब–71)

4. जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल सल्ल. की इताअत करेगा अल्लाह उसे ऐसे बागो में दाखिल करेगा, जिसके नीचे नहरे बहती होंगी वहां वह हमेशा रहेगा और यही बड़ी कामयाबी हैं। (निसा–13)

5. ऐ नबी सल्ल.! इन से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत करते हो तो मेरी इत्तेबाअ करो, अल्लाह तुम से मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। (आले इम्रान–31)

6. जो लोग अल्लाह की और उसके रसूल (सल्ल.) की इताअत करेंगे, वह (क़यामत के दिन) उन लोगों के साथ होंगे, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। यानि–अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन। (निसा–69)

7. अल्लाह की और उसके रसूल (सल्ल.) की बात मानो और अगर न मानोगे तो याद रखो (हमारे) रसूल (सल्ल.) पर साफ़–साफ़ हक़ बात पहुंचा देने की ज़िम्मेदारी है । (तग़ाबुन–12)

सुन्नत की फ़ज़ीलत

1. अबु हुरैरा रज़ि. से रिवायत है, फ़रमाया नबी सल्ल. ने ''मेरी उम्मत–के सब लोग जन्नत में जायेंगे, सिवाए उसके जो इन्कार करे।'' सहाबा इकराम रज़ि. ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्ल. इन्कार कौन करेगा? आप सल्ल. ने फरमाया ''जिसने मेरी इताअत की वह जन्नत में दाख़िल होगा और जिसने मेरी नाफ़रमानी की (गोया) वह इन्कार करने वाला है।'' (बुख़ारी–7280)

2. जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ि. बयान करते हैं कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया– ''जिसने मेरी सुन्नतों में से कोई एक सुन्नत ज़िन्दा की और लोगों ने उस पर अमल किया तो सुन्नत ज़िन्दा करने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा, जितना उस सुन्नत पर अमल करने वाले तमाम लोगों को मिलेगा जबकि लोगों के अपने सवाब से कोइ कमी नहीं की जायेगी और जिसने कोई बिदअत जारी की और फिर उस पर लोगों ने अमल किया तो बिदअत जारी करने वाले पर उन तमाम लोगों का गुनाह होगा जो उस बिदअत पर अमल करेगे। जबकि बिदअत पर अमल करने वालो केअपने गुनाहों की सज़ा से कोई चीज़ कम नहीं होगी। (मुस्लिम–7033–1727, इब्नेमाजा 203 तिर्मिज़ी–2460)

3. अबु हुरैरा रजि. से रिवायत है नबी सल्ल. ने फ़रमाया ''मैं तुम्हारे दर्मियान दो चीज़े छोड़े जा रहा हूँ। अगर उन पर अमल करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे।वह दो चीज़े हैं:– 1 अल्लाह की किताब (कुरआन) और 2. मेरी सुन्नत (हदीस) यानि मेरा तरीक़ा। (मौत्ता मालिक–2251)

सुन्नत की अहमियत

1. अनस रज़ि. बयान करते हैं कि तीन सहाबा (अली बिन अबि तालिब, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस और उस्मान बिन मज़ऊन रजि.) नबी सल्ल. के घर में हाजिर हुए और आप सल्ल. की बीवियों से नबी सल्ल. की इबादत के बारे में सवाल किया जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने आप सल्ल. की इबादत को कम जाना और आपस में कहा कि नबी सल्ल. के मुक़ाबले में हमारी क्या हैसियत है ? उनकी तो अगली–पिछली सारी ख़ताएं माफ़ कर दी गई हैं। (हमें आप सल्ल. से–ज़्यादा इबादत करना चाहिये) उनमें से

एक ने कहा–मैं हमेशा सारी रात नमाज़ पढ़ा करूंगा।। (सोऊंगा नहीं) दूसरे ने कहा मैं हमेशा रोजे़ रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा–मैं औरतों से अलग रहूंगा और कभी निकाह नहीं करूंगा। जब आप सल्ल. को (इन बातों का) पता चला तो उनसे पूछा–क्या तूमने ऐसा और ऐसा कहा है? जब उन्होंने हां की तो आप सल्ल. ने फ़रमाया–ख़बरदार! अल्लाह की क़सम! मैं तुम सब से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और तुम सब से ज़्यादा परहेज़गार हूँ। लेकिन मैं रोज़ा रखता हूँ और छोड़ता भी हूं। रात को कयाम भी करता हूं और आराम भी करता हूं और मैंने औरतों से निकाह भी किये हैं। (याद रखो) जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। (बुख़ारी–5063)

2. अली रज़ि. से रिवायत है कि रसूल सल्ल. ने फ़रमाया–मेरी तरफ़ झूठी बात मन्सूब न करो। जिसने जान–बुझकर मेरी तरफ़ झूठी बात मन्सूब की, वह आग (जहन्नम) में दाख़िल होगा। (बुख़ारी–106, मुस्लिम–मुक़दमा सफ़ा–27)

सुन्नत का एहतेराम

1. हारिस बिन अब्दुल्लाह रज़ि. कहते हैं, मैंने उमर रजि. से पूछा–अगर कुर्बानी के दिन तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद औरत नापाक (हाइज़ा) हो जाये तो क्या करे ? उमर रज़ि. ने जवाब दिया (पाकी हासिल करने के बाद) आख़िरी अमल बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ होना चाहिये। हारिस रज़ि. ने कहा– नबी सल्ल. ने भी मुझे यही फतवा दिया था इस पर उमर रजि. ने फरमाया तेरे हाथ टूट जायें। तू ने मुझ से ऐसी बात पूछी जो नबी सल्ल. से पूछ चुका था ताकि मैं नबी सल्ल. के खिलाफ़ फ़ैसला करूं । (अबुदाऊद–236)

2. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया– तुम्हारी औरतें जब मस्जिद जाना चाहे तो उन्हें मस्जिद जाने से ना रोको। बिलाल बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रजि. ने इब्ने उमर रजि. की जुबानी यह हदीस सुन्ने के बाद कहां बखुदा हम औरतों को रोकेगे। इस पर इब्ने उमर रजि. ने उनको इतनी बुरी गाली दी जो अब तक उनसे नहीं सुनी थी। इसके बाद इब्ने उमर रजि. ने फरमाया मैं तेरे सामने हदीसे रसूल सल्ल. बयान कर रहा हूं और तू कहता है हम उन्हे जरूर रोकेगे। (इब्ने माजा–016, मुस्लिम–701)

मुसनद अहमद मे है कि फिर इब्ने उमर रजि. ने अपने इस बेटे (बिलाल) से बात ना की जब तक जिन्दा रहे।

सुन्नत की मौजूदगी में राय की हैसियत

1. सुन्नते रसूल सल्ल. पर अमल करने की बजाये अपनी राय से ज़्यादा अमल करके ज़्यादा सवाब हासिल करने की चाहत पर आप सल्ल. ने नाराज़गी का इज़हार किया। (रावी–अनस रज़ि.–बुख़ारी–5063)

2. जाबिर रज़ि. से मरवी हदीस में है कि सुन्नते रसूल सल्ल. पर अमल करने के बजाए अपनी राय पर अमल करने वालों को रसूल सल्ल. ने नाफ़रमान कहा।
(मुस्लिम–किताबुस्सियाम–1919)

3. क़बीसा रज़ि. की रिवायत में है कि सुन्नते रसूल सल्ल. की पैरवी ही मुसलमानों के आपसी इख़्तेलाफ़ात ख़त्म करने का वाहिद रास्ता है। (अबुदाऊद–1120)

कुरआन समझने के लिये सुन्नत की ज़रूरत

1. अबु राफ़ेअ रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–लोगों! मैं तुम मे से किसी को इस हाल में न पाऊं कि वह अपनी मसनद पर तकिया लगाये बैठा हो और उसके पास मेरे उन अहकामात में से जिनका मैंने हुक्म दिया है या जिनसे मैंने मना किया है, कोई हुक्म आए और वह यूं कहे मैं तो (आप सल्ल. के इस हुक्म को) नहीं जानता। हमने जो किताबुल्लाह में पाया उसी पर अमल किया। (इब्ने माज–013 & A.D.–4605)

2. अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ि. से रिवायत है जब यह आयत ''वह लोग जिन्होंने अपने ईमान में जुल्म शामिल नहीं किया।'' (अनआम–82)

नाज़िल हुई तो सारे मुसलमान परेशान हो गये और अर्ज़ किया–''या रसूल सल्ल.! हम में से कौन ऐसा है जिसने कोई ज़ुल्म (गुनाह) ना किया हो? तो आप सल्ल. ने फरमाया इस आयत में ज़ुल्म से मुराद (गुनाह नहीं बल्कि) शिर्क है।
(तिर्मिज़ी–2832)
3. क़ुर्आने मजीद में है–तुम में से जो शख़्स बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में (रमज़ान के रोज़ो की) गिनती पूरी करे। (बक़रा:–184) अनस रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा (रमज़ान के बाद) रखने की छूट दी है। (नसाई–2319)
4. कुरआने मजीद ने ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत दोनों को सौ–सौ कोड़े मारने का हुक्म दिया है। (नूर–आयत–02)
जबकि नबी सल्ल. ने ग़ैर शादी–शुदा (कुंवारे) मर्द व औरत को सौ–सौ कोड़े मारने और एक साल के लिए जिला वतन करने और शादी–शुदा मर्द व औरत को (जो ज़ानी हों) सौ–सौ कोड़े मारने और संग सार करने का हुक्म दिया। (अबुदाऊद–1027, इब्ने माजा–2550, मुस्लिम–3266 उबादा बिन सामित)
5. कुरआने मजीद ने तमाम मुर्दार हराम क़रार दिये हैं। (माईदा–03, बक़रा–173) जबकि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–''समन्दर का पानी पाक है और उसका मुर्दार (मछली) हलाल है। (इब्ने ख़ज़ीमा–112–जाबिर रज़ि.)
6. अल्लाह तआला का इर्शाद है– किसने अल्लाह की उस ज़ीनत को हराम क़रार दिया जिसे अल्लाह ने अपने बन्दों के लिये निकाला है? (आराफ़–32)
अबु मूसा रजि. से रिवायत है–नबी सल्ल. ने फ़रमाया–मेरी उम्मत की औरतों के लिये सोना और रेशम हलाल है और मर्दो के लिए (यह दोनों) हराम हैं। (नसाई–5153)

सुन्नत पर अमल करना वाजिब है

1. मिक़दाम बिन मअद यकरब रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–मुसलमानों ! आगाह रहो, मैं कुरआन दिया गया हूँ और इसके साथ उसी दर्जे की एक और चीज़ (यानि हदीस) भी दिया गया हूँ। (अबुदाऊद–1180)

सुन्नत सहाबा इकराम रज़ि. की नज़र में

सुन्नत पर अमल करने के लिए सुन्नत की मसलेहत और हिक्मत का समझ में आना ज़रूरी नहीं है।
1. अबु सईद ख़ुदरी रज़ि. बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूल सल्ल. नमाज़ पढ़ा रहे थे कि दौराने नमाज़ आप सल्ल. ने जूते उतारकर बांयी तरफ़ रख दिये। जब सहाबा रज़ि. ने आप सल्ल. का यह अमल देखा तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिये। नबी सल्ल. ने जब नमाज़ ख़त्म की तो सहाबा से पूछा–तुम लोगों ने अपने जूते क्यों उतारे? सहाबा ने अर्ज़ किया हमने चूंकि आप सल्ल. को जूते उतारते देखा इसलिए हमने भी जूते उतार दिये। तब रसूल सल्ल. ने फ़रमाया–मुझे तो जिबरील अलैहि. ने आकर ख़बर दी थी कि मेरे जूतों में गन्दगी लगी है। (इसलिए मैने उतार दिये थे।) (अबुदाऊद–645)
2. नाफ़ेअ रहमा हुमुल्लाह का बयान है कि इब्ने उमर रज़ि. ने बांसुरी की आवाज़ सुनी तो अपनी उंगलियां कानों में लगा लीं और रास्ते की दूसरी तरफ़ काफ़ी दूर निकल गये। फिर मुझ से पूछा–ऐ नाफ़ेअ! क्या कुछ सुन रहे हो? मैंने कहा–नहीं! तब अपनी उंगलियां कानों से निकाली और फ़रमाया–मैं नबी सल्ल. के साथ था। आप सल्ल. ने बांसुरी की आवाज़ सुनी तो ऐसे ही किया था। (अबु दाऊद–1493)

सुन्नत अइम्मा अर्बआ की नज़र में

1. अबु हनीफ़ा रहमा हुमुल्लाह ने फ़रमाया–जब सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मज़हब है। (रद्दुल मुख़्तार–हवाला–ह. फ़िक़्ह–सफ़ा–92)

2. अबु हनीफ़ा रह. फ़रमाते हैं कि लोगों! दीन में अपनी अक़ल से बात करने से बचो और सुन्नते रसूलुल्लाह सल्ल. की पैरवी को अपने लिए लाज़िम कर लो, जो कोई सुन्नते रसूल से हटा, वह गुमराह हो गया। (मीज़ान शअरानी–ब हवाला–ह. फ़िक्ह–सफ़ा–92)
3. मालिक रह. ने फ़रमाया–बिला शुब्हा में एक बशर हूँ। मेरा कहा सही भी हो सकता है और ग़लत भी हो सकता है। लिहाज़ा मेरे क़ौल (फ़त्वे) पर ग़ौर करो, जो किताब व सुन्नत के मुताबिक हो उस पर अमल करो और जो उसके ख़िलाफ़ हो उसे छोड़ दो। (जामेअ बयान अल इल्म–इमाम अब्दुल बर रह.–ब हवाला–ह. फ़िक्ह–सफ़ा–95)
4. शाफ़ई रह. ने बयान किया–इस बात पर तमाम मुसलमानों की एक राय है कि जिस शख़्स को सुन्नते रसूल सल्ल. का इल्म हो जाये उसके लिये किसी के क़ौल की ख़ातिर सुन्नत को छोड़ना जाइज़ नहीं। (इब्ने क़य्यिम और फ़लानी ने इस का ज़िक्र किया।) (ह. फ़िक्ह–97)
5. शाफई रह. का बयान है–सही हदीस ही मेरा मज़हब है। (अक़्द अल जय्यद–ब हवाला–ह. फ़िक्ह–97)
6. अहमद रह. फरमाते हैं–इमाम औज़ाई, मालिक, अबु हनीफ़ा रह. में से हर एक की बात राय है और मेरे नज़दीक सब का दर्जा एक जैसा है। हुज्जत (दलील) सिर्फ़ सुन्नते रसूल सल्ल. हैं। (अल जामेअ–इमाम अब्दुल बर रह.)
7. अहमद रह. फ़रमाते–है न मेरी पैरवी करो,न (इमाम) मालिक की न इमाम शाफ़ई की, न इमाम औज़ाई की और न इमाम नख़ई की। बल्कि दीन के अहकाम वहीं से लों जहां से इन्होंने लिये यानि किताबों सुन्नत से। (मीज़ान शअरानी–ब हवाला–ह. फ़िक्ह–सफ़ा–101)

हदीस

हदीस का लफ्ज़ क़दीम की ज़िद है। लुग़त में नई चीज़ और नई बात को हदीस कहते है। शरई इस्तेलाह में हदीस से मुराद वह इल्म है जिसमें रसूल सल्ल. के अक़वाल, आमाल और अहवाल ज़िक्र किये गये हों।
हदीस की तीन क़िस्में हैं। 1. कौली हदीस 2 फ़ेअली हदीस 3 तक़रीरी हदीस। हदीस की एक और क़िस्म ''हदीसे कुदसी'' कहलाती है। हदीसे कुदसी और दूसरी अहादीस में ख़ास फ़र्क यह है कि इसमें ''अल्लाह तआला ने फ़रमाया'' के अलफ़ाज (ज़्यादा) होते हैं। वैसे यह भी दीगर इल्हामाते इलाही की तरह एक इल्हाम होता है।

हदीस व सुन्नत

1. असूले हदीस व फ़िक्ह के उलेमा के नज़दीक ''हदीस व सुन्नत'' के अलफ़ाज़ हम मअनी हैं और शरअन ये दोनों हुज्जत हैं।
इमरान बिन हसीन रज़ि. एक बार हदीस का दर्स दे रहे थे। एक शख़्स ने कहा– कुरआने करीम से कोई वाज़–औ–नसीहत कीजिये तो आप रज़ि. ने गुस्से से फ़रमाया ''क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हदीस ही तो कुरआन की तफ़्सीर है। अगर हदीस की कोई अहमियत न होती तो तुम्हें कैसे मालूम होता कि जुहर की चार, मग़रिब की तीन और फ़ज्र की दो रकअतें हैं। और ज़कात और दूसरे अरकान की तफ़्सील का कैसे इल्म होता? (वजूब अल अमल बि सुन्नतिर्रसूल–ब हवाला–मक़ामें हदीस–सफ़ा–69)
2. इमाम अय्युब सख़्तयानी रह. फ़रमाते हैं– जब तुम किसी के सामने हदीसे–रसूल (सल्ल.) बयान करो और वह जवाब में हदीस को रद्द कर के सिर्फ़ कुरआन से जवाब मांगे तो जान लो कि यह शख़्स गुमराह है। (वजूब अल अमल बि सुन्नतिर्रसूल–ब हवाला–मक़ामें हदीस–सफ़ा–70)
अब तक की सारी बातों का) सार यह है कि:–

1 रसूल सल्ल. की इताअत ही अल्लाह की इताअत है (निसा–80)
2. रसूल सल्ल. की नाफ़रमानी करके किसी और की बात पर अमल करना, अपने आमाल को ज़ाया और बर्बाद करना है। (मुहम्मद–33)

इसकी वजह अल्लाह का यह इर्शाद भी है कि ''नबी सल्ल. दीन में अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं करते (कहते) बल्कि वहय जो उन पर नाज़िल की जाती है उसके मुताबिक बात करते हैं। (नज्म–3–4)

रसूल सल्ल. ने उम्मत को वुज़ु का वही तरीक़ा बतलाया जो अल्लाह ने जिब्रील अलैहि. के ज़रिये आप सल्ल. को सिखलाया था। नमाज़ों के वहीं औक़ात बतलाये जो अल्लाह तआला ने जिब्रील अलैहि. के ज़रिये आप को बतलाये थे और नमाज़ों का वही तरीक़ा उम्मत को बतलाया जो अल्लाह ने जिब्रील अलैहि. के ज़रिये आप सल्ल. को बताया था। आप सल्ल. की इताअत क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिये फ़र्ज़ है। अल्लाह का इर्शाद है (आप कह दीजिये) ''मेरी तरफ़ यह कुरआन नाज़िल किया गया है ताकि मैं उसके ज़रिये तुम्हें डराऊँ और उन लोगों को भी जिन तक यह कुरआन पहुंचे। (अनआम–28)

1. अरबाज़ बिन सारिया रज़ि. से मरवी एक हदीस में है कि आप सल्ल. ने फरमाया– तुम में से जो लोग ज़िन्दा रहेंगे वह अन्क़रीब बहुत से इख़्तेलाफ़ात देखेंगे, लिहाजा तुम पर मेरी सुन्नत और (मेरे) खुलफ़ा ए राशिदीन की सुन्नत (तरीक़े) की पैरवी ज़रूरी है। सुन्नत पर तुम मज़बूती से जमे रहना और दीन में नई बातों को ईजाद करने से बचना क्योंकि दीन मे हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। (अबुदाऊद–1199, इब्ने माजा–42)

मुहतरम मुसलमानों !

अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, उसे दीन की समझ अता कर देता है। (बुख़ारी–071, मुस्लिम–5252, तिर्मिज़ी–2431)

दीन अल्लाह की किताब और नबी सल्ल. की सुन्न्त (हदीस) पर अमल करने का नाम है। इसलिए हमें अपनी ज़िन्दगी जहां तक हो सके उसी के मुताबिक़ गुज़ारना चाहिये। तुम उन लोगों में से ना बनो जिन्होने अपने दीन को टुकड़े–टुकड़े कर दिया और खुद भी गिरोह गिरोह में बट गये। हर गिरोह उस चीज़ से जो उसके पास है,खुश है। (रूम–32)

आख़िर में

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हम मुसलमानों क़ो अल्लाह के कलाम (कुरआन) को समझ कर पढ़ने, सुन्नते रसूल सल्ल. का मक़ाम जानने–समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

आमीन या रब्बल आलमीन!

1 हमारा मक़सदे हकीक़ी अल्लाह की खुशनुदी, उसके अहकाम की बजा आवरी और अल्लाह के हक़ीक़ी दीन को अपनी ताक़त भर उसके बन्दों तक पहुंचाना है।

जो हज़रात हमारी इस दावत से सहमत हों हम उनसे तआवुन की दरख़्वास्त करते हैं।

'' व सल्ललाहु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन! बिरहमति–क या अरहमर राहिमीन।''

''व आख़िरू दअवाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बल आलमीन।''

अहले इल्म हज़रात से अपील है कि अगर कहीं ग़लती पायें तो जरूर हमारी इस्लाह फ़रमाए।

शुक्रिया

वास्सलाम!

आपका दीनी भाई

मुहम्मद सईद
मो. 09887239649

दिनांक 15/11/2008